

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / 22 / 2019

- 1- हरमनु-पुत्र स्व० कैलाश } जाति गुर्जर निवासी जाटोली घना तहसील व जिला
2- संध्या पुत्री स्व० कैलाश } भरतपुर ।

....अपीलान्त

बनाम

तहसीलदार भरतपुर।

.....रेसपो

अपील अन्तर्गत 75 भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तकरण सं० 322 तहसीलदार भरतपुर आदेश दिनांक 18.05.2015 ग्राम नगला चांदमारी तहसील भरतपुर ।

उपस्थित :

1. श्री पंकज कुमार , अभिभाषक अपीलान्ट ।
2. राजकीय अभिभाषक ।

निर्णय

दिनांक 23.09.2020

अपीलान्त द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राज० भू-राजस्व अधिनियम (मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम) विरुद्ध नामान्तकरण सं० 322 तहसीलदार भरतपुर आदेश दि० 18.05.2015 इस आशय की प्रस्तुत की है कि तहत न्यायालय के द्वारा स्व० कैलाश पुत्र पदमसिंह की विरासत मंजूर करते समय स्व० कैलाश के पुत्र व पुत्री अपीलान्त संख्या 1 व 2 का नाम गलत रूप से अंकित कर दिया है । अपीलान्त सं० 1 का असल नाम हरमनु है जिसे दाखिल खारिज में पुतल एवं अपीलान्त सं० 2 का नाम संध्या है जिन्हें दाखिल खारिज में बबली दर्ज कर दिया है। इस प्रकार दाखिल खारिज का अमल जमावंदी में होने से अपीलान्त को काफी परेशानी हो रही है, जिस कारण दाखिल खारिज में अपीलान्त के हद तक

(W)

जिला कलक्टर,
भरतपुर (मि०)

.....2

(2)

अपील सं० 22/2019
हरमनु वगै० बनाम तहसीलदार भरतपुर

संशोधन किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट के समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों एवं आधार कार्ड आदि में भी उनका असल नाम हरमनु व संध्या दर्ज है। अपीलान्ट के पिता स्व० कैलाश की आराजी ग्राम वाके ग्राम जाटोली घना में भी स्थित है, जिसका विरासत का दाखिल खारिज नम्बर 629 दिनांक 20.01.2017 को मंजूर हुआ था, जिसमें अपीलान्ट का सही नाम हरमनु व संध्या है, किन्तु नगला चांदमारी में इस विरासत के दाखिल खारिज में अपीलान्ट का घर पर बोले जाने वाला नाम दर्ज हो गया है, जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।


इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर दाखिल खारिज संख्या 322 में आंशिक संशोधन कर अपीलान्ट का सही नाम पुतल के स्थान पर हरमनु एवं बबली के स्थान पर संध्या दर्ज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों. की तलबी की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलाण्ट के योग्य अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि नगला चांदमारी तहसील भरतपुर के नामान्तरण सं० 322 दिनांक 18.05.2015 में अपीलान्ट संख्या 01 का नाम हरमनु के स्थान पर पुतल एवं अपीलान्ट संख्या 02 का नाम संध्या के स्थान पर बबली दर्ज कर दिया है जब कि अपीलान्ट के सही नाम हरमनु व संध्या हैं। पुतल व बबली तो मुंह बोले जाने वाले घरेलू नाम हैं। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में यह भी कथन किया है कि अपीलान्ट के पिता स्व० कैलाश की ग्राम चांदमारी की आराजी के अलावा ग्राम जाटोली घना में भी आराजी है जिसका विरासत का दाखिल खारिज नम्बर 629 दिनांक 20.01.2017 को स्वीकृत हुआ जिसमें अपीलान्ट का सही नाम हरमनु व संध्या सही दर्ज किया गया है।

अपील देरी के सम्बन्ध में उनका कहना है कि प्रार्थीगण को इस कानूनी प्रावधान की जानकारी नहीं थी कि नाम दुरुस्ती के लिए दाखिल खारिज की अपील करनी होगी। दिनांक 27.08.2019 को अभिभाषक से कानूनी सलाह मिलने पर नकल लेने के लिए आवेदन करने के उपरान्त नकल मिलते ही अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने देरी को माफ करते हुये अपील स्वीकार की जाकर अपीलान्ट का नाम पुतल के स्थान पर हरमनु एवं बबली के स्थान पर सही नाम संध्या राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

.....3


जिला कलेक्टर,
भरतपुर (मि०)

(3)

अपील सं० 22/2019

हरमनु वगै० बनाम तहसीलदार भरतपुर

राजकीय अभिभाषक ने अपने कथनों में जाहिर किया कि अपील म्याद बाहर पेश की गई है। अपीलान्ट ने अपना नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होना बताया है। जाँच कराया जाना उचित होगा।

हमने योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। प्रथमतः म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने देरी को माफ करने लिये प्रार्थना पत्र धारा-5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है, जिसके ताईद में शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र धारा-5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर, अपील की मैरिट पर विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 322 दि० 18.05.2015 वाके ग्राम चांदमारी का अवलोकन किया गया। यह नामान्तकरण कैलाश की विरासत का खोला जाकर स्वीकार किया गया है। अपीलाधीन नामान्तकरण में अन्य वारिसान के साथ अपीलान्ट के नाम पुतल व बबली दर्ज हैं। अपीलान्ट का कहना है कि उनके सही नाम हरमनु व संध्या हैं। इस सम्बन्ध में अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिकाएँ एवं आधारकार्ड की प्रतियाँ प्रस्तुत की हैं। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त मृतक कैलाश के पारिवारिक सजरा का अवलोकन किया जिसके अनुसार मृतक कैलाश की पत्नि आशादेवी एवं संध्या, ममता, आरती पुत्रियान तथा हरमनु, अमित पुत्रगण होना उक्त सजरा में तहसीलदार भरतपुर द्वारा अंकित किया है। जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलान्ट के असली नाम हरमनु व संध्या ही हैं। इसके अलावा अपीलान्ट के पिता स्व० कैलाश की ग्राम चांदमारी की आराजी के अलावा ग्राम जाटोली घना में भी आराजी है जिसका विरासत का दाखिल खारिज नम्बर 629 दिनांक 20.01.2017 को स्वीकृत हुआ जिसमें अपीलान्ट के नाम हरमनु व संध्या दर्ज हैं।

प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त पारिवारिक सजरा के अनुसार अपीलान्ट के नाम हरमनु एवं संध्या दर्ज है। अपीलाधीन नामान्तकरण में प्रथम दृष्टया लिपिकीय त्रुटि होना प्रतीत होता है। अस्तु नामान्तकरण संख्या सं० 322 रैस्प० द्वारा दि० 18.05.2015 में दर्ज पुतल पुत्र कैलाश एवं बबली पुत्री कैलाश का नाम कलमजन कर उनके स्थान पर हरमनु पुत्र कैलाश एवं संध्या पुत्री कैलाश दर्ज किया जाना उचित पाते हैं।

विभागाध्यक्ष
भरतपुर (1980)

(4)

अपील सं० 22/2019
हरमनु वगै० बनाम तहसीलदार भरतपुर

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है। तहसीलदार भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि नामान्तकरण सं० 322 दि० 18.05.2015 वाके ग्राम नगला चांदमारी में पुतल पुत्र कैलाश एवं बबली पुत्री कैलाश का नाम कलमजन कर उनके स्थान पर हरमनु पुत्र कैलाश एवं संध्या पुत्री कैलाश दर्ज किया जावे, शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2020 को सुनाया गया।



(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर